खत्म हुआ जाम का झाम, मोती नगर रिंग रोड पर 3 लेन वाला फ्लाईओवर चालू; इन रास्तों पर सफर आसान

नई दिल्ली. दिल्ली की सड़क पर जाम से हैरान-परेशान रहने वाले लोगों को अरविंद केजरीवाल सरकार ने बड़ी राहत दी है। सीएम केजरीवाल ने दिल्ली के मोती नगर रिंग रोड पर 3 लेन वाले फ्लाईओवर का उद्घाटन कर दिया है। अब यह फ्लाईओवर आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। अब मोती नगर और कीर्ति नगर से पंजाबी बाद होते हुए शकूरपुर की तरफ आने-जाने वाले लोगों को जाम से बड़ी राहत मिल जाएगी। इस फ्लाईओवर के निर्माण के बाद पंजाबी बाग फ्लाईओवर के 444 मीटर लंबे एक हिस्से पर वाहनों का आना-जाना शुरू हो गया है सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पहले इस इलाके में आधा किलोमीटर रास्ता तय करने में आधा घंटा लगता था लेकिन अब फ्लाईओवर के निर्माण से लगभग तीन मिनट के अंदर यह फासला खत्म हो जाता है।

फ्लाईओवर के उद्घाटन के बाद सीएम केजरीवाल ने कहा, थ्री लेन फ्लाईओवर का उद्घाटन किया गया है। डेढ़ साल में इसको बनाया गया था। इस फ्लाईओवर के उद्घाटन के साथ हमारी 9 साल की सरकार में यह 31वां फ्लाईओवर है। हमने अब तक कुल 31 फ्लाईओवर का निर्माण किया है। उसके पहले 75 साल में 63 फ्लाईओवर बनाए गए थे। हमारे शासन काल में 31 फ्लाईओवर बनाए गए हैं। हमारी सरकार एक तरफ जहां पानी मुफ्त, बिजली मुफ्त और तीर्थयात्रा जैसी चीजें आम लोगों को दे रही है तो वहीं हम आधारभूत संरचनाओं पर भी ध्यान दे रहे हैं।

सीएम केजरीवाल ने कहा कि ट्रैफिक जाम में अगर कोई फंस जाए तो लोग परेशान हो जाते हैं। यह फ्लाईओवर एक बड़े प्रोजेक्ट का छोटा हिस्सा है। इसका बड़ा हिस्सा इसके आगे बन रहा है। क्लब रोड फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा है। यह फ्लाईओवर भी काफी हद तक तैयार हो चुका है और जुलाई में यह पूर्ण रूप से बन जाएगा। मोतीनगर फ्लाईओवर बनने में डेढ़ साल लगा और क्लब रोड फ्लाईओवर बनने में करीब 2 साल लगे। सीएम केजरीवाल ने कहा कि आजादी के 75 सालों में दिल्ली के अंदर जितनी सड़कें बनी हैं उनती हमारे शासन काल के 9 सालों में सड़कें बन गई हैं।

दिल्ली के रामलीला मैदान में होगी किसानों की महापंचायत, दिल्ली पुलिस ने इन शर्तों पर दी इजाजत

नई दिल्ली. दिल्ली के रामलीला मैदान में 14 मार्च को 'किसान मजदूर महापंचायत' होने जा रही है। संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) का दावा है कि पंजाब-हरियाणा और यूपी सहित कई राज्यों के लोग इस महापंचायत में शामिल होंगे। एसकेएम ने मंगलवार को कहा कि दिल्ली पुलिस ने उसे 14 मार्च को रामलीला मैदान में महापंचायत' करने की इजाजत दे दी है। वहीं, दिल्ली पुलिस ने कहा कि उसने कड़ी शर्तों के साथ इजाजत दी है। पुलिस उपायुक्त (मध्य) एम हर्षवर्धन ने कहा, ''हमने कड़ी शर्तें लगाई हैं और किसान मोर्चा के नेताओं ने एक शपथपत्र पर हस्ताक्षर किए हैं कि वे शर्तों का पालन करेंगे। एसकेएम ने कहा कि महापंचायत में मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ 'लड़ाई तेज करने' का प्रस्ताव पारित किया जाएगा। तीन केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर 2020-21 में किसानों के विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाले किसान संगठनों की अगुवाई करने वाले संयुक्त किसान मोर्चा ने इस बात पर जोर दिया कि यह महापंचायत शांतिपूर्ण रहेगी। एसकेएम ने एक बयान में दावा किया कि दिल्ली पुलिस ने 14 मार्च, 2024 को रामलीला मैदान में महापंचायत आयोजित करने और दिल्ली नगर निगमम के सहयोग से पार्किंग स्थान और पानी, शौचालय और एम्बुलेंस जैसी अन्य बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए एनओसी जारी की है। एसकेएम ने किसानों और कार्यकर्ताओं से 'किसान मजदूर महापंचायत' में बड़ी संख्या में भाग लेने की अपील की और कहा कि इस आयोजन को 'राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण और सफल' बनाने के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। इसने कहा कि महापंचायत मोदी सरकार की कॉरपोरेट समर्थक, सांप्रदायिक, तानाशाहीपूर्ण नीतियों के खिलाफ लड़ाई तेज करने के लिए और खेती, खाद्य सुरक्षा, आजीविका और लोगों को कॉरपोरेट लूट से बचाने के लिए संघर्ष के लिए 'संकल्प पत्र' पारित किया जाएगा। एसकेएम की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि आगामी लोकसभा चुनाव के संदर्भ में किसानों और श्रमिकों की वास्तविक मांगों को लेकर चल रहे संघर्ष को कैसे तेज किया जाए, इसको लेकर महापंचायत भावी कार्ययोजना की घोषणा करेगी। उसने कहा कि आसपास के राज्यों से भी लोग महापंचायत में शामिल होंगे। बयान में कहा गया कि अधिकांश किसान ट्रेन से आ रहे हैं। दिल्ली तक परेशानी मुक्त परिवहन के लिए बसों और चार पहिया वाहनों पर संबंधित संगठनों के झंडों के अलावा स्टीकर लगा होगा और किसानों को गंतव्य तक छोड़ने के बाद वाहनों को दिल्ली में आवंटित स्थान पर खड़ा किया जाएगा।

क्यों नूंह पहुंच रहे आपके चोरी फोन, फिर क्या होता है इनके साथ; बड़े खेल का खुलासा

दिल्ली-एनसीआर से फोन छीनने के बाद झपटमार नूंह और राजस्थान में सक्रिय जालसाजों को बेच रहे हैं। उन फोन का इस्तेमाल कर जालसाज लोगों से ठगी कर रहे। झपटमारों और जालसाजों का नेटवर्क बन चुका है।

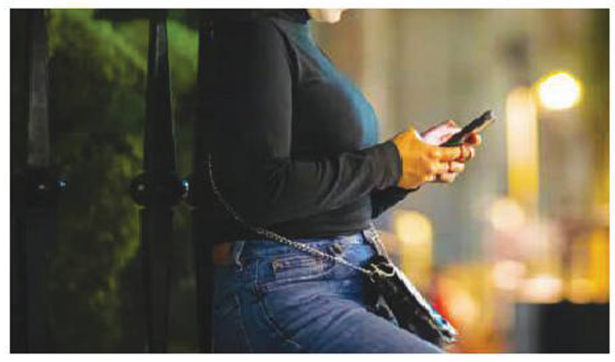

गुरुग्राम. दिल्ली-एनसीआर से फोन छीनने के बाद झपटमार नूंह और राजस्थान में सक्रिय जालसाजों को बेच रहे हैं। उन फोन का इस्तेमाल कर जालसाज लोगों से ठगी कर रहे। गुरुग्राम साइबर पुलिस द्वारा ठगी के मामले की जांच में यह खुलासा हुआ।

साइबर पुलिस अब लोगों के हाथ से छीने गए फोन की जांच कर रही, ताकि जालसाजों तक फोन पहुंचाने वाले गैंग का पता चल सके। इसके अलावा यह भी देखा जा रहा है कि छीने गए फोन के मामलों में जांच कहां तक पहुंची है। बता दें कि हरियाणा पुलिस की सख्ती के बाद जालसाजों को फर्जी सिम कार्ड और म्यूल बैंक खाते मिलना काफी मुश्किल हो गया है। ऐसे में जालसाजों ने झपटमारों से फोन और सिम कार्ड के लिए संपर्क कर नया नेटवर्क शुरू किया। उसके बाद जालसाजों को आराम से फोन और सिम कार्ड मिलना शुरू हो गए। साइबर पुलिस इस नेटवर्क को भी तोड़ने के लिए योजना बना रही है। इसके अलावा जालसाजों ने फर्जी बैंक खाते खुलवाने के लिए कई निजी बैंक के मैनेजर और कर्मचारियों से साठगांठ कर हजारों खातों को खुलवाया।

नया नेटवर्क कर रहे तैयार

जालसाज ठगी करने के लिए समय के अनुसार अपने आप को भी तकनीकी विषयों में मजबूत कर रहे हैं। इसके अलावा वह सिम कार्ड, मोबाइल फोन और बैंक खातों के लिए भी अलग से नया नेटवर्क तैयार कर रहे हैं। जालसाल निजी बैंक में काम करने वाले मैनेजर और कर्मचारियों को रुपयों का लालच देकर अपने जाल में फंसाते हैं।

उन्हें 15 हजार से दो लाख रुपये तक देते हैं। इन रुपयों के लालच में बैंक मैनेजर और कर्मचारियों ने हजारों की संख्या में खातों को खोलकर जालसाजों को मुहैया करवाया है।

फोन कर ठगे थे नौ लाख

नूंह में बैठे जालसाज ने 12 अप्रैल 2023 को झपटमार से छीने हुए सिम कार्ड का प्रयोग करते हुए फेडक्स पार्सल में गैर कानूनी गतिविधि से संबंधित होने के नाम पर डराया गया था। उसके बाद मुंबई पुलिस का अधिकारी बनकर कार्रवाई करने के नाम पर नौ लाख 21 हजार रुपये की ठगी कर डाली थी। इस मामले में जांच करते हुए साइबर पुलिस मानेसर के सामने आया था कि जिस सिम कार्ड से फोन किया गया था, वह फोन और सिम कार्ड बिलासपुर इलाके से कुछ दिन पहले ही झपटमारों के द्वारा छीना गया था।

डीसीपी साइबर सिद्धांत जैन ने बताया कि झपटमारों के द्वारा छीने गए फोन का इस्तेमाल ठगी में किया गया था।

मामले की जांच करते हुए खुलासा हुआ है। जालसाजों के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए साइबर पुलिस काम कर रही है।

गुरुग्राम से दिल्ली आना-जाना आसान, ट्रैफिक के लिए खुला द्वारका एक्सप्रेसवे; इन वाहनों पर प्रतिबंध

गुरुग्राम से दिल्ली आना-जान अब आसान हो गया है। द्वारका एक्सप्रेसवे को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। अब उनको जाम में नहीं फंसना पड़ेगा। अब वाहनों का दबाव भी कम होगा।

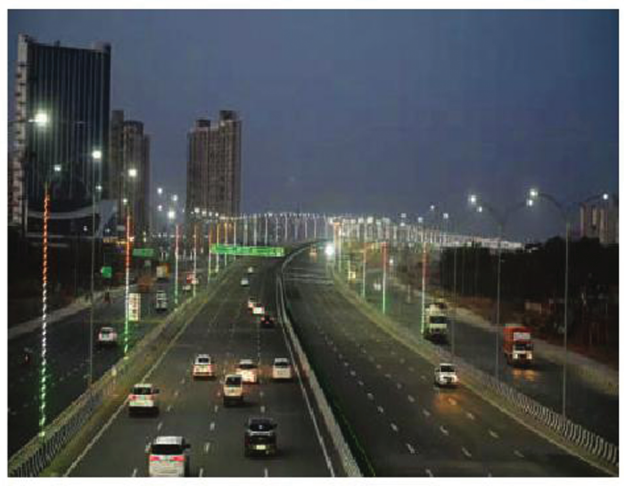

गुरुग्राम. द्वारका एक्सप्रेसवे मंगलवार शाम को आम लोगों के लिए खोल दिया गया। इससे दिल्ली और गुरुग्राम आने-जाने वाले राहगीरों को राहत मिली। अब उनको जाम में नहीं फंसना पड़ेगा और कम समय में वह दिल्ली और गुरुग्राम पहुंच सकेंगे। अभी तक दिल्ली के द्वारका से आने वाले एचएच-8 से होकर गुरुग्राम आते थे। इस रास्ते पर वाहनों का दबाव ज्यादा होने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता था।

राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के द्वारा दोपहर एक बजे तक एक्सप्रेसवे पर चढ़ने वाले रास्तों को बंद किया गया था। वाहन चालक सिर्फ सर्विस रोड का इस्तेमाल कर रहे थे। एनएचएआई अधिकारी ने बताया कि मंगलवार शाम को गुरुग्राम हिस्से में पड़ने वाला एक्सप्रेसवे का पैकेज तीन और चार आम लोगों के लिए खोल दिया गया। नए सेक्टर के लोग आने-जाने के लिए एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल कर सकेंगे। शाम को गुरुग्राम से दिल्ली के द्वारका जाने वाले वाहन चालक एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल कर आधे से भी कम समय में पहुंच गए।

कुछ महीनों में दबाव होगा कम

दिल्ली से गुरुग्राम आने-जाने वाले लोगों को अभी नए रास्ते के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। ऐसे में विशेषज्ञों की माने तो तीन से चार महीनों में एनएच-8 पर वाहनों का दबाव कम होना शुरू होगा। खेड़की दौला टोल प्लाजा पर भी लगने वाले जाम से राहत मिलेगी।

दुपहिया और तिपहिया वाहनों पर प्रतिबंध

द्वारका एक्सप्रेसवे पर भी दुपहिया और तिपहिया वाहन चालकों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। कार और भारी वाहन एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल कर सकेंगे।

प्रतिबंधित वाहन सर्विस रोड का इस्तेमाल कर सकेंगे। एक्सप्रेसवे पर अधिकतम गति सीमा 100 रखी गई है। इसमें भारी वाहनों के 80 गति, जबकि सर्विस रोड पर गति सीमा 40 निर्धारित की गई है।

खुद पर गोली चलाने वालों की रिहाई के खिलाफ याचिका, HC का पुलिस को नोटिस; क्या है पूरा मामला

नई दिल्ली. दिल्ली के प्रतिष्ठित जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (Jawaharlal Nehru University, JNU) के पूर्व छात्र उमर खालिद की एक नोटिस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। दरअसल उमर खालिद ने ट्रायल कोर्ट के एक आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी है जिसके बाद अदालत ने नोटिस जारी किया है। यह मामला साल 2018 में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में उनपर चलाई गोली से जुड़ा हुआ है। ट्रायल कोर्ट ने उमर खालिद पर गोली चलाने वाले दो आरोपियों पर हत्या के प्रयास के आरोप हटाने को लेकर निर्देश दिए थे। ट्रायल कोर्ट के इस फैसले को अब जेएनयू के पूर्व छात्र ने ऊपरी अदालत में चुनौती दी है। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस अनूप कुमार मेंदिरट्टा ने इस मामले में दिल्ली पुलिस और दोनों आरोपियों को नोटिस जारी किया है। उमर खालिद ने पिछले साल 6 दिसंबर को ट्रायल कोर्ट द्वारा उनपर गोली चलाने के दो आरोपियों नवीन दलाल और दरवेज को भारतीय दंड संहिता की धारा 307 (हत्या के प्रयास)के आरोपों से बरी कर दिया था। हालांकि, उनपर धारा 201, 34, 25 और 27 के तहत चार्ज फ्रेम किए गए थे। बुधवार को सुनवाई के दौरान खालिद की तरफ से अदालत में मौजूद वरिष्ठ वकील त्रिदीप पेस ने कहा, %यह एक नया रिविजन पिटीशन है जिसमें कुछ अहम तथ्य हैं। वो मौके पर आए। उन्होंने मेरा फेसबुक पर पीछा किया। उन्होंने मेरे लोकेशन हासिल किया। उन्होंने एक बंदूक खरीदा।

वरिष्ठ वकील की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने उनकी याचिका पर नोटिस जारी किया और मामले में अब अगली सुनवाई 21 मई को होगी। उमर खालिद ने अपनी शिकायत में कहा है कि जब वो अगस्त 2018 में क्लब में एक इवेंट में पहुंचे तब दोनों लोग वहां आए और उनमें से एक ने उनपर हमला किया। उन्होंने आरोप लगाया कि आरोपियों ने उनपर पिस्टल तान दिया और वो अपने हाथ से संघर्ष कर रहे थे।

बच्चों के लिए जो एजेंसी करती है काम, वहीं मिले दो बाल मजदूर; IHC ने दी सफाई

नई दिल्ली. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) के एक कार्यक्रम को लेकर बवाल हो गया है। संस्था का कार्यक्रम इंडिया हैबिटेट सेंटर में आयोजित किया गया था। जिसमें दो नाबालिग लड़के काम करते हुए मिले। इसे देखकर प्रियांक कानूनगो और अन्य गणमान्य व्यक्ति हैरान रह गए। कार्यक्रम के दौरान नाबालिग लड़के दोपहर का भोजन परोसते, बर्तन साफ करते और कचरा उठाते हुए देखा गया। दोनों ने दावा किया है कि उनकी उम्र 18 साल से कम है। आयोग ने इंडिया हैबिटेट सेंटर (आईएचसी) में अपने स्थापना दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया था।

आयोग ने बाल श्रम कानूनों के प्रावधानों का उल्लंघन कर कम उम्र के लड़कों को काम पर लगाने के आरोप में आईएचसी प्रबंधन और ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। आयोग ने तीन दिन के अंदर कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। टीओआई से बात करते हुए, एनसीपीसीआर प्रमुख प्रियांक कानूनगो ने कहा, %इस बात की गहन जांच की आवश्यकता है कि ये लड़के श्रम कानून प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए कैसे काम कर रहे थे। साथ ही ये लड़के 14 और 18 साल की उम्र के हैं और इनसे अनुमति से ज्यादा लंबे समय तक काम करवाया जा रहा था। इसके अलावा, वे स्कूल ड्रॉपआउट हैं और ऐसा लगता है कि उन्हें शिक्षा से जोड़ने का कोई प्रयास नहीं किया गया है।

देर रात इंडिया हैबिटेट सेंटर ने एक बयान जारी कर अपनी ओर से किसी भी कानून के उल्लंघन से इनकार किया। आईएचसी ने दावा किया, हमारे पास दोनों लड़कों की डेट बर्थ वाली आधार कार्ड कॉपी है।

जिनसे पता चलता है कि दोनों 18 साल से अधिक उम्र के हैं।% बयान में जोर देकर कहा गया है, आईएचसी की श्रम और बच्चों से संबंधित कानूनों के सख्त अनुपालन की नीति है। एक मानक संचालन प्रक्रिया के तौर पर हम सभी कॉन्ट्रैक्ट वाले कर्मचारियों को काम करने की अनुमति देने से पहले उनके आईडी की जांच करते है।

अब दिल्ली में आएगी काशी वाली फील, यहां रोज होगी यमुना आरती; डीडीए ने कहां बनाया अद्भुत घाट

दिल्ली में अब रोजाना यमुना आरती होगी। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने वायुदेव घाट का उद्घाटन कर दिया। यह यमुना घाट और निगम बोध घाट के बीच यमुना के पश्चिमी तट पर स्थित है। इसे डीडीए ने संवारा है।

नई दिल्ली. आपने बहुत से लोगों से बनारस और हरिद्वार में सुबह-शाम होने वाली गंगा आरती के बारे में जरूर सुना होगा। आपका भी मन एक बार इस नजारे को अपनी आंखों में कैद करने का होगा। अगर आपने अबतक गंगा आरती नहीं देखी है तो निराश होने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि दिल्ली में अब रोजाना इसे देखने को आनंद उठा सकते हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मंगलवार को वासुदेव घाट का उद्घाटन किया और आरती की। यह यमुना घाट और निगम बोध घाट के बीच यमुना के पश्चिमी तट पर स्थित है।

दिखेंगे प्राकृतिक नजारे

इस घाट को दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा बनाया गया है। पहले यहां खड़ी ढलान और कचरे की वजह से लोग नहीं आते थे। पिछले साल जुलाई में आई बाढ़ की वजह से यहां 1.5 फुट गहरी गाद जमा हो गई। डीडीए ने तमाम चुनौतियों को स्वीकार करते हुए इसे रिस्टोर किया। यहां नक्काशीदार मंडप, ट्यूलिप, गेंदा और सदाबहार के मौसमी फूलों की क्यारियां लगाईं। इसके अलावा यहां 2,000 से ज्यादा देशी और प्राकृतिक पेड़ और 4,00,000 नदी घास के पौधे लगाए गए हैं।

पीएम ने सुझाया था नाम

145 मीटर के घाट में 150 कारों के लिए पार्किंग की जगह के साथ तीन एंट्री प्वाइंट हैं। यहां नदी तक उतरने के लिए 25 सीढ़ियां बनाई गई हैं। घाट पर 'मां यमुना' की एक प्रतिमा स्थापित की गई है, साथ ही उत्तर प्रदेश के जलेसर से मंगवाई गई 300 किलोग्राम की यूनिक (अनोखी) मेटल बेल भी लगाई गई है, जिसे बजाने पर एक वाइब्रेशन और ध्वनि पैदा होती है। डीडीए के उपाध्यक्ष सुभाशीष पांडा ने कहा कि पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घाट का नाम सुझाया था।

रोज होगी यमुना आरती

घाट का उद्घाटन करते हुए एलजी सक्सेना ने कहा, 'मुझे विश्वास है कि इस घाट से न केवल यमुना के तटों को अपना पुराना स्वरूप वापस मिलेगा बल्कि लोगों को यहां आकर सुखद अनुभूति भी होगी। यमुना किसी एक धर्म, व्यक्ति या सरकार की नहीं है। यह एक जीवनदायिनी और हम सबकी है।' अधिकारियों ने बताया कि डीडीए ने एक पंजीकृत सोसायटी के साथ एक एमओयू साइन किया है, जो नियमित रूप से घाट पर 'यमुना आरती' का आयोजन करेगी और साइट का रखरखाव भी करेगी।

साइकिल ट्रैक बनाएगा डीडीए

डीडीए ने घाट के चारों ओर 'बारादरी' और 'छतरियां' के साथ पास के कुदेसिया बाग से प्रेरित एक 'चारबाग-शैली' लैंडस्केप बनाने का प्लान बनाया है। डीडीए अधिकारियों ने कहा कि घाट के पास 2.1 मीटर चौड़ा और 1.8 किलोमीटर लंबा पैदल यात्री ट्रैक और 2.8 मीटर चौड़ा और 1.3 किलोमीटर लंबा साइकिल ट्रैक भी विकसित किया जा रहा है।

डीडीए के पास वजीराबाद और पुराने रेलवे ब्रिज के बीच 16 हेक्टेयर के हिस्से पर नदी के किनारे के पुनर्विकास की एक बड़ी परियोजना भी है।

पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों को राहत, घरों पर नहीं चलेगा डीडीए का बुलडोजर; HC ने क्या दिया आदेश

दिल्ली हाईकोर्ट ने पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि डीडीए उनके घरों पर बुलडोजर एक्शन नहीं लेगा। कोर्ट में डीडीए के नोटिस को चुनौती दी गई थी।

नई दिल्ली. दिल्ली हाईकोर्ट ने पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) उनके घरों पर बुलडोजर कार्रवाई नहीं करेगा। ये शरणार्थी 2011 से यमुना बाढ़ के मैदानों में रह रहे हैं। हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी जिसमें डीडीए के चार मार्च को जारी नोटिस को चुनौती दी गई। नोटिस के अनुसार, निवासियों को 6 मार्च तक जगह खाली करने को कहा गया था। अब हाईकोर्ट ने डीडीए को एक्शन नहीं लेने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता ने मजनू का टीला में रहने वाले 800 शरणार्थियों के लिए वैकल्पिक आवास का इंतजाम होने तक डिमॉलिशन पर रोक लगाने का निर्देश देने की मांग की थी।

अगली सुनवाई तक कोई कार्रवाई नहीं

लाइव लॉ के अनुसार, कोर्ट ने कहा है कि अगली सुनवाई तक याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। डीडीए ने चार मार्चको एक सार्वजनिक नोटिस चिपकाया था जिसमें निवासियों को छह मार्च तक शिविर खाली करने के लिए कहा गया था। ऐसा नहीं करने पर उन्हें गिरा दिया जाएगा। याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी कई सालों से मजनू का टीला में रह रहे हैं और अधिकारी उन्हें बेसिक सुविधाएं भी दे रहे हैं। 29 जनवरी को नेशनल ग्रीम ट्रिब्यूनल के यमुना बाढ़ क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने के आदेश पर कार्रवाई करते हुए डीडीए ने निवासियों को घर खाली करने का नोटिस दिया था। अब 19 मार्च को इस मामले पर सुनवाई होगी।

कई सालों से मजनू का टीला में रह रहे हैं

हाईकोर्ट ने एक शरणार्थी, रवि रंजन सिंह की याचिका पर सुनवाई की। याचिका में डीडीए के अधिकारियों को मजनू का टीला में रहने वाले पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों शिविर को तब तक ध्वस्त नहीं करने के निर्देश देने की मांग की थी जब तक कि उन्हें कोई वैकल्पिक जमीन आवंटित नहीं की जाती। खासतौर से सीएए कानून के मद्देनदजर जिसके जरिए केंद्र सरकार पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से प्रताड़ित गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यकों को देश में शरण और नागरिकता प्रदान करेगी। याचिका में बताया गया कि पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी कई वर्षों से मजनू का टीला में रह रहे हैं।